कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थायें भीलवाड़ा

क्रमांक / [illegible] / संस्था / 688 दिनांक 30/3/10

अध्यक्ष / सचिव
सुन्दर बाई भेरूलाल सेठी एज्युकेशन एण्ड
वेलफेयर सोसायटी भीलवाड़ा

[illegible] संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत संस्था रजिस्ट्रीकरण के बारे में।

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक ......201/...... भीलवाड़ा /2009-10 दिनांक 23/3/10 ... संलग्न है, जिसकी प्राप्ति की सूचना भिजवाने का कष्ट करें।

[illegible] उक्त अधिनियम की धारा 4 व 4 (क) की ओर भी आकर्षित किया जाता है [illegible] अनुसार आपको प्रतिवर्ष आमसभा के 14 दिवस में निम्नलिखित सूचना भेजना जरूरी है :-

1. संस्था [illegible] जिसको सौंपा गया है, उस पर परिषद समिति या अन्य जाति निकाय के [illegible] या सदस्यों के नाम, पते और पैसे की सूचना [illegible] पद के।
2. एक विवरण पत्र जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष, की सूचि के दौरान हुए समस्त परिवर्तनों को दिखाया गया हो।

[illegible] विनियमों की एकता तारीख सही प्रतिलिपि जो शासक निकाय के शासकों, सचालकों, [illegible] या सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सही प्रमाणित की गई है।

इसके अलावा संस्था के नियमों और विनियमों से किये गये प्रत्येक परिवर्तन की प्रतिलिपि जो [illegible] सही प्रमाणित हुई हो, ऐसा परिवर्तन करने की तारिख से पन्द्रह दिन के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय को पहुंच जानी चाहिये।

आपका [illegible] अधिनियम की धारा 4 (ख) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार [illegible] करने मे विफल रहने वाला अपराध सिद्ध होने पर अर्थ दण्ड से दण्डनीय [illegible] हो सकता है तथा लगातार भंग होने की दिशा में और ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रत्येक दिन के लिए जिसमें कि ऐसे अपराध के लिए प्रथम अपराध सिद्ध के पश्चात [illegible] रुपये से अधिक नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के अधीन प्रस्तुत की गई [illegible] के अधीन रजिस्ट्रार को भेजे गये विवरण पत्र या नियमों और विनियमों को [illegible] की प्रतिलिपि में जानबुझ कर कोई मिथ्या प्रविष्ठ या लोप करता या करवाता है तो [illegible] सिद्ध होने पर वह ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो दो हजार रुपये तक हो सकता है।

[illegible] में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार करते समय संस्था का रजिस्ट्रेशन संख्या एवं [illegible] अंकित करें।

संलग्न [illegible]

[illegible]

रजिस्ट्रार संस्थायें
भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 201 /भीलवाड़ा/2009-10

यह प्रमाणित किया जाता है कि सुन्दरबाई-भैरूलाल दंपती एज्युकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी भीलवाड़ा जिला-भीलवाड़ा का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संस्था 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया है।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 23 माह मार्च सन् दो हजार दस को भीलवाड़ा में दिया गया।

रजिस्ट्रार
संस्थाएँ, भीलवाड़ा

नाम संस्था – सुन्दर बाई–भैरू लाल संचेती एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, भीलवाड़ा

संघ विधान पत्र

1. **संस्था का नाम**	–	इस संस्थान का नाम **सुन्दर बाई–भैरू लाल संचेती एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, भीलवाड़ा** है व रहेगा।
2. **पंजीकृत कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र**	–	संस्थान का पंजीकृत कार्यालय **13 मिलन टॉकीज रोड, हरि सेवा मार्ग, भीलवाड़ा** है तथा इस संस्थान का कार्यक्षेत्र **राजस्थान राज्य** तक सीमित होगा।
3. **संस्था के उद्देश्य**	–	इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:–

(i) उच्च शिक्षा, प्रबन्धन शिक्षा, तकनीकी शिक्षा हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना, विकास करना, संचालित करना, प्रशिक्षण देना, अनुसंधान करना **एवं** उसे चलाना।

(ii) बच्चों को शिक्षा के लिए पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्चतर तकनीकी शिक्षा देने के उद्देश्य से विद्यालय, महाविद्यालय, इन्स्टीट्यूट **एवं** विश्वविद्यालय प्रारम्भ करना, चलाना, प्रबन्ध करना एवं रखरखाव करना।

(iii) रोजगारोन्मुखी एवं सभी प्रकार के वोकेशनल कोर्सेज चलाना, संचालन करना।

(iv) शिक्षा और शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर अन्य विधाओं में अनुसंधान करना।

(v) समाज के जरूरतमंद छात्र–छात्राओं के विकास के लिए सामान्य शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु आर्थिक एवं अन्य सहयोग प्रदान करना एवं शिक्षा का प्रबन्धन करना।

13/3/2010 Asha Sancheti Jain Prakhiti

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष

(vi) समाज में शैक्षणिक उन्नयन के लिए आवश्यकतानुसार विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास स्थापित करना एवं उन्हें चलाना।

(vii) खेलकूद, व्यायाम की सुविधाएँ उपलब्ध कराना एवं प्रतियोगिताएँ आयोजित करना।

(viii) शिक्षा के लिए जन चेतना जागृति लाना एवं प्रचार–प्रसार करना।

(ix) महिला शिक्षा के लिए सभी प्रकार के शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं सुविधाएँ मुहैया कराना।

(x) जरूरतमंद छात्र–छात्राओं को भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, परिवहन व अन्य सुविधाएँ प्रदान करना।

(xi) सभी प्रकार की चिकित्सा से संबंधित अस्पताल व अनुसंधान केन्द्रों का निर्माण करना व संचालन करना।

(xii) उपरोक्त गतिविधियों के संचालन हेतु सोसायटी के लिए चल अचल सम्पत्ति क्रय–विक्रय करना, किराये देना, ऋण लेना, ऋण के लिए सोसायटी की सम्पत्ति को गिरवी रखना एवं सोसायटी की गतिविधियों को संचालित करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

4- संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं:–

क्र. सं.	नाम/ पति का नाम	पूर्ण पता	आयु	व्यवसाय	पद
1.	श्री रोशन लाल संचेती/ श्री भैरू लाल संचेती	13, हरि सेवा मार्ग, मिलन टॉकीज रोड, भीलवाड़ा	42	व्यापार	अध्यक्ष
2.	राजेन्द्र कुमार जैन/ श्री उमराव सिंह बुरड़	5-ए-25, आर. सी.व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा	43	सी.एस.	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती आशा देवी/ श्री धनराज सुराणा	13, हरि सेवा मार्ग, मिलन टॉकीज रोड, भीलवाड़ा	47	व्यापार	सचिव
4.	योगेन्द्र बापना/ श्री पारस मल बापना	आर.सी.व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा	40	व्यापार	सह सचिव
5.	प्रकाश जैन/ श्री हीरा लाल गुलाब चंद	पो. गढबोर, चारभुजा जी, राजसमंद	47	व्यापार	कोषाध्यक्ष
6.	केशर सिंह चौधरी/ श्री बलवीर सिंह चौधरी	6-जी-49, आर. सी.व्यास कॉलोनी,भीलवाड़ा	46	सर्विस	सदस्य
7.	नेमी चंद कूकड़ा/ श्री कन्हैया लाल कूकड़ा	पो. जैतपुरा, तह. आसीन्द, जिला भीलवाड़ा	38	व्यापार	सदस्य
8.	अनिल चौधरी/ श्री गुलाब सिंह चौधरी	बी-181, डॉ. आर.के.कॉलोनी, भीलवाड़ा	30	एम.बी.ए.	सदस्य
9.	श्रीमती मंजू जैन/ श्री भैरू लाल संचेती	पो. गढबोर, चारभुजा जी, राजसमंद	46	व्यापार	सदस्य

Rhenu — अध्यक्ष | Asha Sancheti — सचिव | Jain Prakash M. — कोषाध्यक्ष

5- हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं इस संघ विधान पत्र के अंतर्गत इस संस्थान के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवानें के इच्छुक हैं:-

क्र. सं.	नाम/ पिता का नाम	पूर्ण पता	आयु	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1.	श्री रोशन लाल संचेती/ श्री भैरू लाल संचेती	13, हरि सेवा मार्ग, मिलन टॉकीज रोड, भीलवाड़ा	42	व्यापार	
2.	राजेश सुराणा/ श्री धनराज सुराणा	विद्युत नगर, संजय कॉलोनी, भीलवाड़ा	43	व्यापार	
3.	राजेन्द्र कुमार जैन/ श्री उमराव सिंह बुरड़	5-ए-25, आर. सी.व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा	43	सी.एस.	
4.	महावीर चौधरी/ श्री पारस मल चौधरी	विद्युत नगर, संजय कॉलोनी, भीलवाड़ा	51	व्यापार	
5.	नेमी चंद कूकड़ा/ श्री कन्हैया लाल कूकड़ा	पो. जैतपुरा, तह. आसीन्द, जिला भीलवाड़ा	38	व्यापार	
6.	भंवर लाल श्रीश्रीमाल/ श्री शोभा लाल श्रीश्रीमाल	सी-172, डॉ. आर.के.कॉलोनी, भीलवाड़ा	58	सेवानिवृत्त	
7.	अशोक बैद/ श्री किशोरी लाल बैद	पो. आसीन्द, जिला भीलवाड़ा	48	व्यापार	Ashok Kumar Baid
8.	श्रीमती आशा देवी/ श्री धनराज सुराणा	13, हरि सेवा मार्ग, मिलन टॉकीज रोड, भीलवाड़ा	47	व्यापार	Asha Sancheti
9.	योगेन्द्र बापना/ श्री पारस मल बापना	आर.सी.व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा	40	व्यापार	
10	श्रीमती सीमा जैन/ श्री कन्हैया लाल काठेड़	5-ए-25, आर. सी.व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा	38	व्यापार	

Asha Sancheti

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम/ पिता का नाम	पूर्ण पता	आयु	व्यवसाय	हस्ताक्षर
11	प्रकाश संचेती/ श्री तेजमल संचेती	विद्युत नगर, संजय कॉलोनी, भीलवाड़ा	30	व्यापार	
12	अनिल चौधरी/ श्री गुलाब सिंह चौधरी	बी–181, डॉ. आर.के.कॉलोनी, भीलवाड़ा	28	एम.बी.ए.	
13	श्रीमती मंजू जैन/ श्री भैरु लाल संचेती	पो. गढबोर, चारभुजा जी, राजसमंद	46	व्यापार	मंजु जैन
14	सारिका जैन/ श्री प्रकाश चन्द खमेशरा	पोस्ट–देवगढ़ जिला–राजसमन्द	23	व्यापार	Sarika Jain
15	हर्षवर्धन शर्मा/ श्री ओम प्रकाश शर्मा	पो. अण्टाली, तह. आसीन्द, जिला भीलवाड़ा	25	व्यापार	
16	केशर सिंह चौधरी/ श्री बलवीर सिंह चौधरी	6–जी–49, आर. सी.व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा	46	सर्विस	
17	प्रकाश जैन/ श्री हीरा लाल गुलाब चंद	पो. गढबोर, चारभुजा जी, राजसमंद	47	व्यापार	Jain Prakash

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने हस्ताक्षर किए हैं, हम ये भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

ATTESTED

(साक्षी)

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
BHILWARA (RAJ.)
29/3/10

हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

(साक्षी)

NOTARY PUBLIC
BHILWARA (RAJ.)
29/3/10

2. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

अध्यक्ष

Asha Sancheti
सचिव

Jain Prakash
कोषाध्यक्ष

1- संस्था का पंजीयन क्रमांक ...... 201/ भीलवाड़ा / 2009-10

2- संस्था का नाम ...... सुन्दर बाई भैरुलाल सेठी एज्युकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी भीलवाड़ा

3- किस्म दस्तावेज ...... संघ विधान पत्र

4- दस्तावेजों की संख्या ...... पांच

5- पंजीयन दिनांक 23/3/10

6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार ......

रजिस्ट्रार
संस्थाऐं, भीलवाड़ा

नाम संस्था – सुन्दर बाई–भैरू लाल संचेती एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, भीलवाड़ा

विधान नियमावली

1. संस्था का नाम – इस संस्थान का नाम **सुन्दर बाई–भैरू लाल संचेती एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, भीलवाड़ा** है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र – संस्थान का पंजीकृत कार्यालय **13 मिलन टॉकीज रोड, हरि सेवा मार्ग, भीलवाड़ा** है तथा इस संस्थान का कार्यक्षेत्र **राजस्थान राज्य** तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्य – इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

(i) उच्च शिक्षा, प्रबन्धन शिक्षा, तकनीकी शिक्षा हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना, विकास करना, संचालित करना, प्रशिक्षण देना, अनुसंधान करना एवं उसे चलाना।

(ii) बच्चों को शिक्षा के लिए पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्चतर तकनीकी शिक्षा देने के उद्देश्य से विद्यालय, महाविद्यालय, इन्स्टीट्यूट एवं विश्वविद्यालय प्रारम्भ करना, चलाना, प्रबन्ध करना एवं रखरखाव करना।

(iii) रोजगारोन्मुखी एवं सभी प्रकार के वोकेशनल कोर्सेज चलाना, संचालन करना।

(iv) शिक्षा और शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर अन्य विधाओं में अनुसंधान करना।

(v) समाज के जरूरतमंद छात्र–छात्राओं के विकास के लिए सामान्य शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु आर्थिक एवं अन्य सहयोग प्रदान करना एवं शिक्षा का प्रबन्धन करना।

Asha Sancheti Jain Prakash

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष

(vi) समाज में शैक्षणिक उन्नयन के लिए आवश्यकतानुसार विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास स्थापित करना एवं उन्हें चलाना।

(vii) खेलकूद, व्यायाम की सुविधाएँ उपलब्ध कराना एवं प्रतियोगिताएँ आयोजित करना।

(viii) शिक्षा के लिए जन चेतना जागृति लाना एवं प्रचार-प्रसार करना।

(ix) महिला शिक्षा के लिए सभी प्रकार के शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं सुविधाएँ मुहैया कराना।

(x) जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, परिवहन व अन्य सुविधाएँ प्रदान करना।

(xi) सभी प्रकार की चिकित्सा से संबंधित अस्पताल व अनुसंधान केन्द्रों का निर्माण करना व संचालन करना।

(xii) उपरोक्त गतिविधियों के संचालन हेतु सोसायटी के लिए चल अचल सम्पत्ति क्रय-विक्रय करना, किराये देना, ऋण लेना, ऋण के लिए सोसायटी की सम्पत्ति को गिरवी रखना एवं सोसायटी की गतिविधियों को संचालित करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

4. सदस्यता	–	निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:– 1. संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करते हों। 2. बालिग हों। 3. पागल, दिवालिए न हों। 4. संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों। 5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।
5. सदस्यों का वर्गीकरण	–	संस्थान के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे:– 1. आजीवन 2. साधारण
6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा	–	उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा 1. आजीवन राशि 50000 रु 2. साधारण राशि 5000 रु वार्षिक उक्त राशि एकमुश्त जमा कराई जासकेगी।
7. सदस्यता से निष्कासन	–	संस्थान के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा 1 मृत्यु होने पर 2 त्यागपत्र देने पर 3 संस्थान के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर 4 प्रबंधकारिणी द्वारा दोषी पाए जाने पर। उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अंदर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा।

Asha Sancheti Jain Prakashan

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

8. साधारण सभा – संस्थान के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिल कर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य – साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे

1 प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना

2 वार्षिक बजट पारित करना

3 प्रबन्धकारिणी द्वारा किए गए कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टि करना

4 संस्थान के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)

10 साधारण सभा की बैठकें – 1 साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2 साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3 बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व आवश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।

4 कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे।

Rhenul   Asha Sancheti   Jain prakh h.

अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष

5 संस्थान के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर सचिव/अध्यक्ष द्वारा एक माह के अंदर अंदर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि मे अध्यक्ष/सचिव द्वारा बैठक न बुलाए जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे था इस प्रकार बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

11 कार्यकारिणी का गठन – संस्थान को सुचारू रूप से चलाने हेतु एक प्रबंधकारिणी का गठन किया जावेगा। जिसके निम्न पदाधिकारी व सदस्य होंगे –

1. अध्यक्ष	–	एक
2. उपाध्यक्ष	–	एक
3. सचिव	–	एक
4. सहसचिव	–	एक
5. कोषाध्यक्ष	–	एक
6. सदस्य	–	चार

इस प्रकार प्रबंधकारिणी में पाँच पदाधिकारी व चार सदस्य कुल नौ सदस्य होंगे।

12 कार्यकारिणी का निर्वाचन – 1 संस्था की प्रबंध कार्यकारिणी का चुनाव पाँच वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जाएगा।

2 चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3 चुंनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा की जाएगी।

Rhenul
अध्यक्ष

Asha Sancheti
सचिव

Jain [illegible]
कोषाध्यक्ष

13 कार्यकारिणी के कर्त्तव्य एवं अधिकारः – संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्त्तव्य होगेः–

1 सदस्य बनाना/सदस्यता समाप्त करना।

2 वार्षिक बजट तैयार करना।

3 संस्थान की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

4 वेतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवामुक्त करना।

5 साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों/प्रस्तावों को क्रियान्वित करना।

6 कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियाँ बनाना।

7 अन्य कार्य जो संस्थान के हितार्थ हों करना।

14 कार्यकारिणी की बैठकें – 1 कार्यकारिणी की वर्ष भर में 5 बैठक अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा बैठक कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2 बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3 बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जाएगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4 कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी। जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डे में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारियों के कम से कम 2 पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में करना आवश्यक होगा।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

15 प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के कर्त्तव्य एवं अधिकार – संस्था की प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के कर्त्तव्य एवं अधिकार निम्न प्रकार होंगेः–

1 अध्यक्षः–

1 बैठकों की अध्यक्षता करना।

2 मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।

3 बैठकें आहूत करना।

4 संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5 संविदा तथा अन्य दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करना।

2 उपाध्यक्षः–

1 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2 प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना

3 सचिवः–

1 बैठकें आहूत करना।

2 कार्यवाही लिखना तथा रिकॉर्ड रखना।

3 आय–व्यय पर नियन्त्रण करना।

4 वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

5 संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6 पत्र व्यवहार करना।

7 सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

Rhenuf Asha Sancheti Jain

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

4 **सहसचिवः–**

1 सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2 प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

5 **कोषाध्यक्षः–**

1 वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना।

2 दैनिक लेखों पर नियन्त्रण करना।

3 चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4 अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16 **संस्था का कोष** – संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगाः–

1 चन्दा 2 शुल्क 3 अनुदान 4 सहायता 5 राजकीय अनुदान 6 ऋण

(i) उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जाएगी।

(ii) अध्यक्ष/सचिव कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन–देन सम्भव होगा।

17 **कोष संबंधी विशेषाधिकार** – संस्थान के हित में तथा कार्य व समय आवश्यकता अनुसार निम्न पदाधिकारी संस्थान की राशि एकमुश्त स्वीकृत कर सकेंगे–

1.	अध्यक्ष	75,000 रु
2.	सचिव	25,000 रु
3.	कोषाध्यक्ष	5,000 रु

उक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षण की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18 **संस्था का अंकेक्षण** – संस्थान के समस्त लेखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

Asha Sancheti

Jain Baldh...

अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष

19	**संस्थान के विधान में परिवर्तन**	– संस्थान के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।
20	**संस्थान का विघटन**	– यदि संस्थान का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्थान की समस्त चल व अचल संपत्ति समान उद्‌देश्य वाली संस्थान को हस्तांतरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।
21	**संस्थान के लेखे जोखे का निरीक्षण**	– रजिस्ट्रार संस्थाए, भीलवाड़ा को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उनके द्वारा दिए गए सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) **सुन्दर बाई–भैरू लाल संचेती एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, भीलवाड़ा** की सही व सच्ची प्रति है।

2014 भीलवाड़ा/2009-10
सुन्दरबाई भैरूलाल संचेती एज्युकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी भीलवाड़ा
विधान नियमावली
नो
23/3/10

रजिस्ट्रार
संस्थाऐं, भीलवाड़ा

Asha Sancheti
Jain Prakash H.

अध्यक्ष　　　सचिव　　　कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष
रोशन लाल संचेती

सचिव
श्रीमति आशा देवी